

कार्यालय – राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश

सी-1, विक्रान्त खण्ड-1 (निकट शहीद पथ), गोमतीनगर, लखनऊ

पत्रांक : 1573/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./2017

दिनांक : 11 मई, 2017

आदेश

पीठों के मध्य क्षेत्राधिकार संबंधी आदेश संख्या 1046/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./2016 दिनांक 09.06.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए दि. 15.05.2017 से सूचीबद्ध होने वाले मामलों के संदर्भ में पीठ सं. 1 एवं पीठ सं. 2 का क्षेत्राधिकार निम्नवत नियत किया जाता है -

पीठ सं. 1 (न्याय कक्ष सं. 1)	मूल वाद - आरंभ से वर्ष 1996 तक योजित तथा वर्ष 2014 व उसके उपरांत योजित अपील व पुनरीक्षण याचिका - आरंभ से वर्ष 1996 तक योजित तथा वर्ष 2015 व उसके उपरांत योजित
पीठ सं. 2 (न्याय कक्ष सं. 2)	मूल वाद - वर्ष 1997 से वर्ष 2013 तक योजित अपील व पुनरीक्षण याचिका - वर्ष 1997 से वर्ष 2003 तक योजित

(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान)

अध्यक्ष

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. समस्त मा. सदस्यण, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र., लखनऊ।
2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, निबन्धन/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राज्य आयोग।
3. वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1, मा. न्यायमूर्ति अध्यक्ष, राज्य आयोग।
4. प्रशासनिक अधिकारी (अभिलेखागार), राज्य आयोग।
5. प्रशासनिक अधिकारी (अधिष्ठान), राज्य आयोग (आदेश को वेब-साइट पर अपलोड कराने के आशय से)।
6. 'लिस्टिंग' अनुभाग, राज्य आयोग।
7. वरिष्ठ सहायक, समस्त न्याय कक्ष, राज्य आयोग।
8. अध्यक्ष, एल्डर कमेटी, ऑल यू.पी. कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन बार एसोसिएशन।
9. नोटिस बोर्ड।

(पंकज कुमार सिंह)

निबन्धक